

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।

पत्रांक: मान्यता / 15597-602

/2018-19/दिनांक:- 09-03-19

प्रबन्धक,

Pt. Babu Ram Pandey Academy Beejalpur Road,
Jaswantpur, Muradganj, Auraiya

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

शासनादेश सं०-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-06 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देशों में तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। शासनादेश के अनुपालन में आवेदन करने और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त नवीन मान्यता हेतु पत्रावली उपलब्ध कराई गयी है। निरीक्षण आख्या के जालोक में जनपदीय मान्यता समिति एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मण्डल, कानपुर की समीक्षा बैठक दिनांक 06.03.2019 को लिये गये निर्णय के अनुमोदनोपरान्त मैं-प्रबन्धक Pt. Babu Ram Pandey Academy Beejalpur Road Jaswantpur, Muradganj, Auraiya को तारीख 01 अप्रैल 2019 से तारीख-31 मार्च 2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा-1 से कक्षा-8 (प्रिओ सहित) तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड, परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (6) अध्यापकों की शर्तों अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	417 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्रफल	—	280 वर्ग मी०
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—	135 वर्ग फुट
कक्षाओं की संख्या	—	07(दस)
प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह भण्डागार के लिये कक्ष—	—	03
बालक बालिकाओं के लिये पृथक—पृथक शौचालय—	—	उपलब्ध
पेयजल सुविधा	—	समर
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई—	—	हैं
बाधारहित पहुँच	—	हैं
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	—	उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11. विद्यालय के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय की आवंटित योग्यता कोड संख्यांक— 03प्राथमिक स्तर/अंग्रेजी माध्यम/03/2019 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त के साथ ही समय—समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों के निर्देशों के अनुपालन में उनका पालन करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(एस०पी० सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

पृ०सं० व दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—मण्डलीय सहायक शिक्षा निर्देशक (बेसिक) कानपुर मण्डल, कानपुर।

2—जिला समाज कल्याण अधिकारी, औरैया।

3—जिला विकलॉग कल्याण अधिकारी, औरैया।

4—जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जनपद—औरैया।

5—खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख०—औरैया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।